न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 163/2022(GCMS : 2022/233)

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II, स्पेन्सर प्लाजा नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई–600002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय–होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर–302019 राज. में स्थित व कार्यरत है।

बनाम

1. **श्री सतवीर सिंह** पुत्र श्री तेज सिंह, पता वार्ड नं. 04, 34 एलएनपी, पदमपुरा, बिंजबेला, जिला गंगानगर राजस्थान–335041
2. **श्रीमती किरन कौर** पत्नी श्री सतवीर सिह, पता वार्ड नं. 04, 34 एलएनपी, पदमपुरा, बिंजबेला, जिला गंगानगर राजस्थान–335041

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री महादेव प्रसार मिढा ने वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 12.09.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सतवीर सिंह एवं किरन कौर को ऋण सुविधा के रूप में 2.39/– लाख रूपये (अखरे रूपये दो लाख उन्नतालिस हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 25.01.2019 प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी सतवीर सिह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 05, प्लॉट नं. 106ए(क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट), ग्राम 39 एलएनपी, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थीगण सतवीर सिंह एवं किरन कौर के विरूद्ध प्रस्तुत करके प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋणी सतवीर सिह की अचल सम्पत्ति **पट्टा नं. 05, प्लॉट नं. 106ए(क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट), ग्राम 39 एलएनपी, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा अप्रार्थीगण से दिलवाये जाने की प्रार्थना की है। **प्रार्थी बैंक ने अपने शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 08 में निम्नानुसार अंकित किया है :**

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshdeep Rath
Date: 2023.10.12 12:56:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

"उक्त प्रकरण पूर्व में दिनांक 22.12.2021 को आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, परन्तु उक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज किय गया कि "प्रार्थी द्वज्ञरा प्रस्तुत शपथ पत्र में यह नहीं बताया गया की ऋणी द्वारा धारा 13(2) के नोटिस पर कोई आपत्तिया/अभ्यावेदन पेशन किये गये है अथवा नहीं और उन पर विचार कर ऋणियों को सूचित किया गया है अथवा नहीं।"

प्रार्थी बैंक के आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया तो पाया कि **उक्त प्रकरण पूर्व में 13/2022(GCMS : 2022/17)** पर दर्ज किया गया था जिसमें दिनांक 13.04.2022 को निर्णय पारित कर प्रार्थी बैंक का प्रकरण खारिज किया गया था। **प्रार्थी बैंक इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 13.04.2022 की पूर्ण पालना नहीं की और एक नया शपथ पत्र प्रस्तुत** किया है इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.04.2022 से निम्न आदेश पारित किया थाः

> **अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 का **खारिज किया जाता है।** प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए **अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

प्रार्थी बैंक ने इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 13.04.2022 में दिये निर्देशों की पालना न कर पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में निर्णय पारित किये जाने के पश्चात पुनः निर्णय का कोई प्रावधान नहीं** है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rana
Date: 2023.10.12 12:56:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड का न्यायिक दृष्टांत 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr भी अवलोकनीय है जिसके पैरा–13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> 13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 13.04.2022 की पालना न किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 13.04.2022 की पालना में, अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर, पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)

सिविल मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:56:24 IST
Reason: SelfAttested